**न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद, स्थान– बस्ती**
**मूलवाद सं0 47/1984**
**छांगुर बनाम तृिशंक बहादुर**

**29.03.2018**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं0 3 ता 8 एवं 14 व 15 पर तामीला जरिए प्रकाशन पर्याप्त है। उनके वादोत्तर का अवसर समाप्त किया जाता है एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त वादबिन्दुओं के विरचन हेतु बल दिया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 9, 10, 11, 12, 13 द्वारा दाखिल वादोत्तर/काउन्टरक्लेम के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त वादबिंदु विरचित होते हैं–

11. क्या विवादित भूमि गाटा सं0 314 में स्थित निर्माण काउन्टरक्लेम में उल्लिखित अभिवचनों के ध्वस्त किए जाने योग्य है?
12. क्या काउन्टरक्लेम अल्पमूल्यांकित है?
13. क्या काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
14. क्या विवादित भूमि पहचान योग्य नहीं है?
15. क्या काउन्टरक्लेम अत्यधिक कालबाधित है?
16. क्या काउन्टरक्लेमकर्ता को दावा हाजा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है?
17. क्या काउन्टरक्लेम में मसला स्टापेल व एक्वीसेन्स भी आरिज है?
18. क्या काउन्टरक्लेम प्रापर्ली प्रजेन्टेड एवं वेरीफाइड नहीं है?

उपरोक्त वादबिंदुओं के अलावा न तो कोई वादबिंदु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिंदु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं0 12 एवं 13 दिनांक 18.04.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती